Note Proof
24.4.24
(श्री देवेश कुमार)
अधि.

24/4/2024 आज यह प्रार्थनापत्र
हुई वकील वादी ने उपस्थित होकर
वाद को Not Press में खारीज करने
का निवेदन करते हुये सहमति
स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये
हैं। वाद वादी Not Press में
खारीज किया जाता है। प्रार्थना
पत्र प्रमाण होकर नम्बर से
कम होने के कारण तकमील दाखिल
[illegible] आदेश
मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2024.05.13 13:01:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)